न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 109/2015 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर ।
2. तहसीलदार राजगढ़ ।
3. नायब तहसीलदार टहला ।

..... प्रतिवादी / अपीलांट

बनाम

1. सीताराम पुत्र रामनाथ जाति माली निवासी घाटड़ा तहसील राजगढ़ ।
2. हरबक्श पुत्र रामनाथ जाति माली निवासी घाटडा तहसील राजगढ़ ।
3. जयराम पुत्र रामनाथ जाति माली निवासी घाटडा तहसील राजगढ।
4. लक्ष्मण पुत्र रामनाथ जाति माली निवासी घाटडा तहसील राजगढ़ ।

..... वादी/ रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री मूलचन्द चौधरी अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–19.12.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय दिनांक 08.08.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस्तकरारहक व हुक्म ईम्तनाई दवामी का इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 साबिक सम्वत् 2020 से पूर्व 364 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम घाटडा तहसील राजगढ़ में स्थित है । उक्त आराजी का खातेदार वादीगण का पिता रामनाथ था । बन्दोबस्त सम्वत् 2020 में उक्त आराजी के हाल ख0 नं0 478, 479 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा व 1 बीघा 5 बिस्वा कायम किये तथा उक्त गत ख0 नं0 478, 479 के बन्दोबस्त सम्वत् 2046 में नये ख0 नं0 1210 रकबा 0.12 है0 ही कायम कर दिया तथा आराजी को सरकारी खाते सिवायचक में दर्ज कर दिया जबकि वादीगण का पिता पूर्व में आराजी का खातेदार था तथा उसका कब्जा काश्त थी । उसकी मृत्यु के बाद वादीगण का आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है ।

19.12.17

इस प्रकार बन्दोबस्त सम्वत् 2020 व 2046 द्वारा जो आराजी खातेदारी को सिवायचक में दर्ज किया गया है वह खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है । इस प्रकार गलत इन्द्राज रहने से हकूक खातेदारी वादीगण प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी दुरूस्ती का दावा प्रस्तुत किया है । उक्त गलत इन्द्राज की आड़ में प्रतिवादीगण वादीगण के खिलाफ कार्यवाही बेदखली करते हैं तथा आराजी से बेदखल करने की धमकी देते हैं । इसलिए वाद वादीगण डिक्री करते हुए प्रतिवादीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर तनकीयात कायम करते हुए दि0 08.08.2011 को वादी का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय दि0 08.08.2011 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 8.8.2011 के खिलाफ यह अपील पेश की गई है । विवादित आराजी के नये खसरा नम्बर 678, 679 गलत है जबकि सही नं0 478 व 479 है । विवादित आराजी पर वादीगण के पिता का कब्जा नहीं होने से आराजी को सिवायचक सही दर्ज किया गया है जो कि खसरा गिरदावरी सम्वत् 2014–20 से प्रमाणित है । सिवायचक इन्द्राज मौके के अनुसार सही दर्ज किये गये है । बन्दोबस्त विभाग द्वारा मुताबिक मौका सही इन्द्राज दर्ज किया गया है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी लिखित बहस व मौखिक बहस में बताया कि हाल ख0 नं0 1210 रकबा 0.12 ऐयर इसके साबिक ख0 नं0 478 रकबा 1.01 व 479 रकबा 1.01 बने हैं । सम्वत् 2020 से पूर्व साबिक ख0 नं0 364 रकबा 2.02 बीघा था । इस प्रकार ख0 नं0 364 से ख0 नं0 478 व 479 सम्वत् 2020 के बन्दोबस्त में बने हैं । सम्वत् 2051 के बन्दोबस्त से ख0 नं0 478 व 479 से ख0 नं0 1210 बने हैं जो कि विवादित आराजी है । साबिक ख0 नं0 364 जमाबन्दी सम्वत् 2018 में मेरे पिता रामनाथ की खातेदारी में थे । खसरा गिरदावरी सम्वत् 2014 में मेरी काश्त है तथा रामनाथ की खातेदारी दर्ज है । बन्दोबस्त ने सम्वत् 2020 में सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि बन्दोबस्त विभाग को ऐसे इन्द्राज बदलने का कोई विधिक अधिकार नहीं था जिसमें खातेदारी बदल रही हो । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध एक्जी. 5 में मुझे धारा 91 का नोटिस दिया जिसमें मेरा कब्जा माना है तथा नोटिस मिलते ही मैंने खातेदारी का दावा तहत न्यायालय में किया गया जो दावा मेरा डिक्री किया गया । उक्त निर्णय में तनकीयात बनायी गयी है उनका विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय तहत न्यायालय द्वारा दिया गया । अपीलांट ने साक्ष्य के बिन्दु को अपील में उठाया है जबकि इनको साक्ष्य हेतु बहुत मौके दिये गये हैं ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि अपीलांट ने अपील 4 वर्ष 4 माह विलम्ब से पेश की है । अपील विलम्ब से पेश करने का कोई उचित कारण भी दर्ज नहीं किया गया

19.12.17

है तथा न ही शपथपत्र पेश किया है । अतः मियाद अधिनियम पर भीं अपील खारिज करने की इस्तदुआ की है ।

उन्होंने आगे कहां कि अपीलांट ने आज भी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया कि ये जमीन मेरी खातेदारी की नहीं रही है । तहत न्यायालय ने तनकी कायम कर उनका पूर्ण विवेचन करते हुए निर्णय दिया है तथा मेरे दस्तावेजों को सही माना है और उसी आधार पर दावा डिक्री किया गया है ।

जहां तक अपील को मैरिट पर देखा जाये मो मैरिट पर भी अपीलांट द्वारा अपील में कोई ऐसे दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये जिससे माना जावे कि सैटलमेन्ट से पूर्व उक्त आराजी सरकार की रही हो तथा उस पर रेस्पो0 का कब्जा नहीं रहा हो । सम्वत् 2018 की जमाबन्दी में भी विवादित आराजी वादी/रेस्पो0 के पिता रामनाथ की खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2014 से 2017 व 2019 से 2022 से भी स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर वादी/रेस्पो0 का कब्जा है किन्तु यदि खातेदार की जमीन को खातेदार अपनी सुविधानुसार पड़त रख लेता है तथा काश्त नहीं करता है तथा उसमें अपने पशु बांधने या फसल के लिए खिलाण वगैरा के काम में लेने के लिए काश्त नहीं करता है तो उसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह जमीन पड़त है और उसको सिवायचक दर्ज कर दिया जावें । इस तरह का कानूनन कोई प्रावधान नहीं है । सैटलमेन्ट विभाग को तो केवल पूर्व में राजस्व रेकार्ड में हो रहे इन्द्राज को ही रिपिट करने का अधिकार है । पूर्व में इन्द्राजात को बदलने का सैटलमेन्ट विभाग को बिना किसी सक्षम अदालत या उच्चाधिकारी के आदेश के बिना अधिकार नहीं है । जब सम्वत् 2014 में विवादित आराजी वादीगण के पिता के नाम दर्ज थी तो इस इन्द्राज को ही रिपिट करना चाहिए था । उन्होंने सम्वत् 2020 में इसे सिवायचक का जो इन्द्राज किया है वह गलत व कानून के खिलाफ किया जो काबिल निरस्तनीय है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री उचित है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है और अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.टी. 2010 पेज 801, आर.एल.आर.1996 पेज 714, आर.आर.टी. 2016 पेज 1110, आर.आर.डी. 2009 पेज 150, आर.आर.डी. 2002 पेज 26, आर0.आर.टी. 2014 पेज 1331, आर.बी.जे. 1999 पेज 292, आर.आर.डी. 1999 पेज 389, आर. आर.टी. 2013 पेज 887, 226, आर.आर.टी. 2015 पेज 1214, आर.बी.जे. 2001 पेज 170, आर. बी.जे. 2009 पेज 578, आर.बी.जे. 2003 पेज 118, आर.बीजे. 1998 पेज 274, आर.बी.जे. 1998 पेज 610 प्रस्तुत की ।

जवाब उल जवाब में पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि दफा 5 का जवाब के संबंध में कहना है कि मैंने शपथपत्र पेश किया है। राजकार्य में समय व्यतीत होता है । जिला कलक्टर की कोई बदयान्ती नहीं रही है । ख0 नं0 364 सम्वत् 2014 में बंजड़ कदीम है जिस पर इनका कब्जा नहीं है । खसरा गिरदावरी जो कब्जे को प्रदर्शित करती है पेश नहीं की है । आज तक गिरदावरी पेश नहीं की है । इसलिए इनका कब्जा नहीं माना जा सकता है और अपील स्वीकार योग्य है ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

19.12.17

अपीलांट ने मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र धारा 5 के साथ यह अपील यह कहते हुए पेश की है कि राजकार्य में व्यस्तता के कारण अपील में देरी हुई है तथा मौखिक बहस में भी यही बिन्दु उठाया है और शपथपत्र का भी हवाला दिया है । रेस्पो0 अभिभाषक ने अपनी कानूनी नजीरों के आधार पर अपीलांट की देरी कें आधार पर अपील को खारिज करने की इस्तदुआ की है ।

अपीलांट ने अपील में हुई देरी को सद्भावी देरी बताया है तथा शपथपत्र भी पेश किया है । अतः देरी को सद्भाविक देरी मानते हुए देरी को कन्डोन करने के आदेश दिये जाते हैं ।

जहां तक अपील के मैरिट पर निस्तारण का प्रश्न है, प्रकरण में वादी/रेस्पो0 का वाद इस बिन्दु पर आधारित था कि ख0 नं0 साबिक 364 रकबा 2.02 बीघा के वादीगण के पिता सम्वत् 2020 से पूर्व खातेदार काश्तकार काबिज रेकार्ड थे । बन्दोबस्त ने गलत रूप से साबिक ख0 नं0 364 रकबा 2.02 बीघा के नये ख0 नं0 478 व 479 रकबा क्रमशः 1.01 बीघा प्रत्येक बनाकर सिवायचक कर दिये हैं जो खिलाफ कानून व मौका था । बन्दोबस्त को खातेदारी के इन्द्राजों को बदस्तुर सिवायचक करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था ।

रेस्पो0 ने भी बताया है कि पुनः बन्दोबस्त सम्वत् 2046–61 में साबिक ख0 नं0 478 व 479 का रकबा 12 ऐयर ख0 नं0 हाल 1210 में सिवायचक कर दिया जिसे रेस्पो0/वादी ने दुरूस्त कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में वाद पेश किया था और अधीनस्थ न्यायालय ने ये मानते हुए कि बन्दोबस्त ने गलत रूप से खातेदारी की आराजी को सिवायचक किया है । दावा वादी डिक्री सही किया है । अतः इस अपील को मैरिट के आधार पर भी खारिज करने की इस्तदुआ की है ।

पत्रावली में पेश साबिक रेकार्ड व साक्ष्य तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.08.2011 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि वादीगण के पिता की खातेदारी की आराजी को गलत रूप से सिवायचक किया है । मिलान क्षेत्रफल तथा साबिक रेकार्ड इस तथ्य की पुष्टि करता है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम गुणावगुण पर कोई कमी नहीं पाते हैं । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के कारण खारिज योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ का निर्णय व डिक्री दि0 08.08.2011 यथावत रखा जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/12/17

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर